POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2022/अंक 02

मासिक प्रेषण दि. 8 फरवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 फरवरी, 2022 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जॉग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! पिछले महीने के दौरान एक घटना ने मुझे और मेरी अंतरात्मा को झकझोर दिया। वह हरिद्वार में साधुओं की एक बैठक में भड़काऊ भाषण था। साधुओं के एक वर्ग में कई जवाबी विरोध प्रदर्शन हुए। इस घटना की निंदा करने वाले प्रतिष्ठित नागरिकों के हस्ताक्षरित कई बयान भी सामने आए।

इनमें कई लोग शामिल नहीं थे, जिन्होंने महसूस किया कि यह विरोध एकतरफा है और वे उदारवादी अल्पसंख्यक नेताओं द्वारा किए गए घृणात्मक भाषणों की निंदा नहीं करते हैं और जो हिंसक कार्यों को उकसाते हैं। दोनों को सांप्रदायिक सद्भाव के ढांचे और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की जांच करने की आवश्यकता है। अगर हमें कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों से उबरना है तो हमें शांति और स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी।

स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म कांग्रेस में कहा था कि हिंदू धर्म एक धर्म या जीवन का एक तरीका है जो अन्य सभी धर्मों का सम्मान करता है और सहिष्णुता व स्वीकृति सिखाता है। मेरा 5000 साल पुराना हिंदू डीएनए भी मुझसे यही बात कहता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ भी यही कहते हैं "ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया...।" यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से और पुष्ट होता है: "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास"।

सत्तारूढ़ शासन के लिए हरिद्वार के बयानों की निंदा करने के लिए आह्वान किया गया है, लेकिन यह केवल उपराष्ट्रपति, वेंकैया नायडू थे जिन्होंने जनवरी की शुरुआत में धर्मनिरपेक्षता पर मजबूत संदेश भेजा था। उन्होंने अन्य धर्मों का उपहास करने और समाज में भेदभाव पैदा करने के प्रयासों के लिए अपनी कड़ी निंदा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को देश में अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है।

प्लास्टिक बैग के निर्माण व उपयोग पर रोक तो पालना क्यों नहीं?

प्लास्टिक बैग के निर्माण व उपयोग पर केंद्र व राज्य सरकार ने नियम बना रखे हैं । इनकी प्रभावी पालना नहीं होने पर राजस्थान हाईकोट ने केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार सहित ग्रेटर व हैरिटेज नगर निगम को पिछले दिनों नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूछा है कि जब केंद्र और राज्य सरकार ने नियम व नोटिफिकेशन के जरिए प्लास्टिक बैग के निर्माण और उपयोग पर पाबंदी लगा रखी है तो फिर इनका निर्माण व उपयोग कैसे हो रहा है।

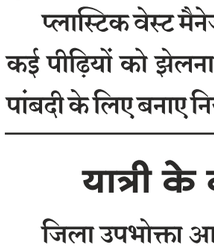

प्रियांशा गुप्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट में जन हित याचिका दायर कर कहा कि केंद्र सरकार ने 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए थे और इनकी पालना के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया। वहीं राज्य सरकार ने भी 2010 में नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश को प्लास्टिक बैग्स फ्री राज्य घोषित करने की मुहिम चलाई थी। लेकिन एक दशक के बाद भी राज्य सरकार प्रदेश को प्लास्टिक बैग्स फ्री नहीं कर पाई है।

प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। इसका कुप्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों को झेलना होगा। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से प्लास्टिक बैग्स के निर्माण व उपयोग पर पांबदी के लिए बनाए नियमों की प्रभावी पालना करवाने की गुहार की है।

यात्री के कीमती सामान चोरी होने पर रेलवे जिम्मेदार

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर (प्रथम) में वैशाली नगर निवासी डॉ. निशा वशिष्ठ ने परिवाद दायर कर कहा कि उसने 18 अक्टूबर 2012 को भोपाल से जयपुर के लिए तृतीय श्रेणी एसी कोच में टिकट बुक कराया था। यात्रा के दौरान रात को उसका हैंड बैग चोरी हो गया। उन्होंने जीआरपी थाना, जयपुर में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसको अजमेर जीआरपी थाना में भेज दिया गया। पुलिस ने जांच के बाद कोच अटेंडेट और उसके साथी को गिरफ्तार कर कुछ चोरी हुआ सामान बरामद कर लिया। करीबन 55 हजार रुपए की ज्वैलरी बरामद नहीं हुई। डॉ. निशा ने इसे रेलवे का सेवा दोष बताया और कहा कि सामान चोरी के लिए रेलवे जिम्मेदार है।

मामले की सुनवाई पर रेलवे ने अपने जवाब में कहा कि परिवादी डॉ. निशा ने सामान रेलवे को नहीं सौंपा था, उन्हें अपने कीमती सामान की खुद सुरक्षा करनी चाहिए थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने माना कि रिजर्वेशन के बाद सफर के दौरान रेलवे यात्री का कीमती सामान चोरी होने पर रेलवे जिम्मेदार है। आयोग ने रेलवे को चोरी हुए सामान के 55 हजार रुपए नौ फीसदी ब्याज सहित चुकाने के आदेश दिए। साथ ही आयोग ने मानसिक संताप के 30 हजार रुपए और 10 हजार रुपए परिवाद व्यय के तौर पर भी अलग से देने के निर्देश दिए।

'ग्राम गदर ग्रामीण' पत्रकारिता पुरस्कार, 2021

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 40 वर्ष पूरे कर रहा है। अत: हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2021 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही है, वह है:

'विकास में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। ● टेलीफोन/मोबाइल नम्बर
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2021 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

<u>प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2022 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।</u>

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर
302016 (राजस्थान), फोन: 0141-2282821, फैक्स: 0141-2282485, 4015395
ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org

भारत सबसे असमान आय वाला देश

भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आर्थिक स्तर पर असमानता वाला देश है। यहां गरीब दिन-प्रतिदिन कंगाली की ओर तो अमीर और रईस हो रहा है। औसत घरेलू संपत्ति 9,83,010 रुपए है। नीचे के 50 फीसदी लोगों के पास संपत्ति के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं है। इनकी औसम संपत्ति 66,280 रुपए है। शीर्ष 10 प्रतिशत अमीरों के पास देश की कुल आय का 57 प्रतिशत है।

यह खुलासा वर्ल्ड इनइक्वैलिटी रिपोर्ट 2022 से हुआ है। शीर्ष एक प्रतिशत अमीरों के पास देश की कमाई का 22 फीसदी हिस्सा है। नीचे के 50 फीसदी लोगों के पास कुल आय का योगदान घटकर 13 फीसदी हो गया है। देश में चार दशकों में तेजी से अमीरी बढ़ रही है, ज्यादातर संपत्ति निजी हाथों में है।

लाखों गरीबों को नहीं मिल रहा राशन

प्रदेश में 23.75 लाख गरीब लोग 2 रुपए किलो गेहूं से वंचित हो गए हैं। इसका कारण है कि दो साल बाद भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों के सदस्यों के नाम जन आधार में नहीं जोड़े गए। सरकार की बहुउद्देशीय जन आधार योजना को लागू करने के बाद से प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित राशन कार्डधारी परिवारों के सदस्यों को जनआधार से जोड़ा जा रहा है।

सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान में जन आधार कार्ड को ही राशन कार्ड के स्थान पर मान्यता दी गई है। यानी जन आधार से ही राशन मिलेगा। जनआधार से जुड़े सदस्यों के आधार पर 1 जनवरी 2022 से राशन दिया जाना शुरू हो गया। लेकिन इस माह में लाखों गरीब लोगों को गेहूं नहीं मिलने से उनके सामने खाने का संकट बन गया।

पंचायत भवन निर्माण में लेटलतीफी

प्रदेश में नई बनाई गई 1400 से अधिक ग्राम पंचायतें आज भी बेघर है। इन पंचायतों के पास खुद के भवन तक नहीं हैं। दो साल में सिर्फ 46 ग्राम पंचायतें ही अपना 'घर' बना पाई हैं।

सरकार ने पंचायत चुनावों से पहले वर्ष 2019 में पुनर्गठन के जरिए बनाई नई पंचायतों को नाम तो दे दिया, लेकिन अफसरों की लेटलतीफी के चलते दो साल बीतने के बाद भी इनमें से 97 फीसदी नई पंचायतों को अपना नया कार्यालय भवन नहीं मिल पाया। जुगाड़ के जरिए इनमें से अधिकांश पंचायत भवन या तो किसी स्कूल, सामुदायिक भवन या फिर किसी अन्य सरकारी कार्यालयों में संचालित हैं।

वैक्सीन नहीं तो लगेगा जुर्माना

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वैक्सीन लगवाने में आनाकानी करने वालों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने से इन्कार नहीं कर सकता। हम कोरोना की दूसरी लहर का दर्द कैसे भूल सकते हैं।

उन्होंने बताया कि जनवरी के पहले सप्ताह से मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनके चालान काटे जा रहे हैं और जुर्माना लगाया जा रहा है। सभी अनिवार्य रूप से एक महीने में वैक्सीन लगवा लें, नहीं तो जुर्माना लगेगा।

प्रदेश में मजबूत हुआ सेहत का पाया

राजस्थान ने 25 वर्षों में कई क्रांतिकारी परिवर्तन देखे हैं। 21वीं सदी की शुरूआत से पहले तक प्रदेश में केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 33 हो गए हैं। हालांकि अभी भी 33 में से 3 जिलों जालौर, राजसमंद और प्रतापगढ़ को मेडिकल कॉलेज का इंतजार है।

प्रदेश में कोरोना से पहले एक भी टेस्टिंग लेब नहीं थी। अब प्रतिदिन एक लाख सैंपल की जांच की क्षमता वाले 27 लेब है। पहले प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की कुल 1100 सीट थीं, जो अब 14 सरकारी और 8 प्राइवेट को मिलाकर 3900 सीटें नीट 2021 में छात्रों को आवंटित की है। यानी हर साल करीब 4 हजार छात्रों को मेडिकल में प्रवेश मिल रहा है।

गांव व ढाणियों में नल से पेयजल

केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान में चल रहे जल जीवन मिशन के तहत 3213 गांवों के लिए 6872 करोड़ रुपए की राशि की पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में 27 जिलों की 6.56 लाख की आबादी लाभान्वित होगी।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 28 महीनों में राज्य में जल जीवन मिशन के तहत बेहतर कार्य हुआ है। इस दौरान राज्य में 10.05 लाख घरों में नल से पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। अब तक राज्य में 1.1 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 22.23 लाख यानी 21.92 प्रतिशत परिवारों को नल से पानी उपलब्ध कराया गया है।

खेजड़ली गांव में बनेगा अब स्मारक

वर्ष 1730 का वह स्थान, जहां से चिपको आंदोलन की उत्पत्ति हुइ थी। जहां खेजड़ली पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी के साथ उनकी बेटियां और अन्य ग्रामीण पेड़ों से चिपक गए थे। तब मारवाड़ के महाराजा के सैनिकों ने पेड़ों के साथ उन्हें भी काट दिया था। यह स्थान और उनके बलिदान की कहानी तो आज भी जीवंत है। लेकिन अमृता देवी के साथ अपनी जान देने वाले उन 363 शहीदों के नाम इतिहास के पन्नों से गायब है।

वहां पर करीब 292 साल के बाद स्मारक बनाया जा रहा है। स्मारक में उन सभी शहीदों के नाम उकेरे गए हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लोगों को पता चल सके कि पेड़ों की खातिर अपना शीश कटाने वाले वे कौन-कौन थे? स्मारक में अमृता देवी विश्नोई की मूर्ति लगाई जाएगी।

कृषि व्यवसाय में आगे आईं महिलाएं

प्रदेश में अब कृषि आधारित व्यवसायों में महिलाएं आगे आ रही है। तकनीकी मदद से आदिवासी क्षेत्रों की महिलाएं न केवल ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं बल्कि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में नवाचार अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। नीति आयोग के सहयोग से पिछले साल प्रदेश की 150 महिला उद्यमियों को स्टार्टअप को लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई थी।

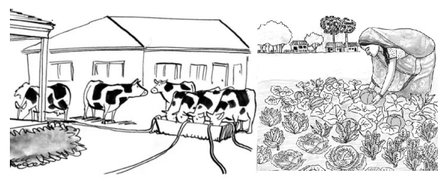

यह काफी सुखद संकेत है। महिलाओं को समय-समय पर खेती, पशुपालन, डेयरी और कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं ने कृषि क्षेत्र में 20 से भी ज्यादा स्टार्टअप शुरू किए है साथ ही इन क्षेत्रों में अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है।

गृहणियों के काम को कम न आंके

यह रूढ़िवादी सोच है कि जो महिलाएं घर में रहती हैं, वे काम नहीं करती। इसे बदलना चाहिए। महिलाएं घरों में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा काम करती हैं। उनके काम का कोई आर्थिक मोल नहीं माना जाता। यह धारणा खत्म होनी चाहिए। गृहणी बिना वेतन घर का काम करती है, जिसका परिवार के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान होता है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं अवैतनिक घरेलू कार्यों के लिए 76 प्रतिशत समय देती हैं, जो पुरुषों की तुलना में तीन गुना अधिक है। भारत में करीब 20 करोड़ महिलाएं हर माह अवैतनिक कार्य करते हुए औसतन 40 हजार करोड़ रुपए परिवार पर कुर्बान कर देती हैं। फिर भी उनके द्वारा किए गए काम को आम क्यों समझा जाता हैं?

अफसरों को झोपड़ियों में दिखे पक्के मकान

उदयपुर जिले की आदिवासी तहसील कोटड़ा की 66 ग्राम पंचायतों के 1696 परिवारों का पक्के मकान में रहने का सपना दो साल से आंखों में ही घूम रहा है। इन्हें यह मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने थे। लेकिन अफसरों की लापरवाही के चलते सभी को अपात्र घोषित कर दिया गया।

मकान नहीं मिलने के कारण भी ऐसे है कि उस पर विश्वास करना भी मुश्किल है। जिन परिवारों के आवास रद्द किए गए हैं। अफसरों को उनकी खजूर के पत्तों और मिट्टी से बनी दीवारें सीमेंट-कंक्रीट से बनी नजर आई। उन्हें झोपड़ी में लैंडलाइन फोन तो पार्किंग में कार भी नजर आई।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स', जयपुर